Amarujala

पटवारी पद पर रिटायर्ड कर्मियों की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पटवारी के पद पर रिटायर्ड कर्मियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पंजाब में पटवारी के पद पर रिटायर्ड पटवारियों, कानूनगो की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगाते हुए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, वित्तायुक्त (राजस्व) और निदेशक लैंड रिकार्ड को 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी किया है।

संबंधित विभाग की ओर से 18 अगस्त, 2015 को जारी विज्ञापन के आधार पर पटवारी के पद के लिए आवेदन करने वाले 20 उम्मीदवारों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब सरकार द्वारा 5 अगस्त, 2016 को जारी इस सर्कुलर को चुनौती दी है, जिसके तहत संबंधित विभाग ने पटवारी के पदों पर कांट्रैक्ट आधार पर रिटायर्ड/वयोवृद्ध पटवारियों/कानूनगो को नियुक्त करने का फैसला किया है।